This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 25 अप्रैल, 2017 / 05 वैशाख, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 25 मार्च, 2017

संख्या : इण्ड–II(बी)2–2 / 2015.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में **कनिष्ठ प्रारुपकार, वर्ग–II** (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध **'क'** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग, कनिष्ठ प्रारुपकार, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) यह नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,
आर0 डी0 धीमान,
प्रधान सचिव (उद्योग)।

——————

उपाबन्ध.'क'

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**——कनिष्ठ प्रारूपकार

2. **पदों की संख्या.**——05 (पांच)

3. **वर्गीकरण.**——वर्ग–III (अराजपत्रित)

4. **वेतनमान.**——*(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान :* 5910–20200 / – रूपये जमा 2400 ग्रेड–पे ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां: स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रूपये 8310 / – प्रति मास।

5. **पद "चयन" है या "अचयन".**—लागू नहीं

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी:

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछडे वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिये आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

टिप्पणी.——सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिये विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.——*(क) अनिवार्य अर्हता:* (*i*) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

(*ii*) केन्द्रीय या हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से या केन्द्रीय / राज्य सरकार के तकनीकी संस्थान से प्रारूपकार के व्यवसाय में कम से कम दो वर्ष का प्रमाण पत्र कोर्स।

(ख) वांछनीय अर्हताएं:——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.——*आयु :*——लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं:—— लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.——*सीधी भर्ती.*——(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें ।

(ख) संविदा, पदावधि, अधिवर्षिता उपरान्त पुनः नियोजन और समावेश आधार पर नियुक्तियों में परिविक्षा लागू नहीं होगी।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति / सैकेण्डमेंट / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—— (*i*) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर, भर्ती द्वारा।

(*ii*) पचास प्रतिशत, बैचवाईज आधार पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति / सैकेण्डमेंट / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / सैकेण्डमेंट / स्थानान्तरण किया जाएगा.——लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.——लागू नहीं।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——(*i*) *सम्बन्ध भर्ती अभिकरण के माध्यम से सीधी भर्ती के लिये:*——सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम आदि सम्बन्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(ii) विभागीय स्तर पर बैचवाईज आधार पर भर्ती के लियेः संविदा के आधार पर सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, आदि सम्बन्ध भर्ती अभिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिये गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जायेगी।

(I) संकल्पना.––(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में कनिष्ठ प्रारूपकार को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जायेगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आना.––(निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जायेगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.––संविदा के आधार पर नियुक्त कनिष्ठ प्रारूपकार को **₹** 8310/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्युनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रूपये **₹** 249/– (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.––निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया.––*(क) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः*––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(ख) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में न आनाः––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाये तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जायेगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि इन नियमों के अधीन गठित चयन समिति द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिये चयन समिति.––*(क) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में आनाः*––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(ख) पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के कार्यक्षेत्र में न आना.––जैसी सम्बद्ध भर्ती प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध 'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबंधन और शर्तें.——(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 8310/—की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 249/—की दर से (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जायेगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिये भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किये बिना) के लिय भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाये किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिये अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जायेगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हों, स्थानान्तरण के लिये पात्र होगा।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जायेगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्युनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0 आर0 एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैन्शन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ—साथ ई0 पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.——सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की वावत जारी किए गए अनुदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.——लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्ति.——जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) को बाबत, शिथिल कर सकेगी।

———————

उपाबन्ध–'ख'

कनिष्ठ प्रारूपकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्रारूप

यह करार श्री / श्रीमति......................................पुत्र / पुत्री श्री...निवासी.......................संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख...............को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने कनिष्ठ प्रारूपकार के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है.——

1. यह कि प्रथम पक्षकार कनिष्ठ प्रारूपकार के रूप में .... से प्रारम्भ होने और.................को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनो पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्...............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जायेगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण / नवीकरण के लिये सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत / विस्तारित की जायेगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ह8310 / –प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यावसित (समाप्त) किये जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिये भी हकदार होगी / होगा । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किये बिना) के लिय भी हकदार होगा / होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0

आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

परन्तु, अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिये अग्रनीत नहीं किया जायेगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जायेगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटि)से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जायेगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिये संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हों स्थानान्तरण के लिये पात्र होगा।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख...............................मास............वर्ष.................को अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

——————

[Authoritative English Text of this Department Notification No. No.Ind-II(B)2-2/2015 dated. 25/03/2017, as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATIOIN

Shimla-2 , *the* 25th *March*, 2017

No.Ind-II(B)2-2/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article, 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh, Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Junior Draughtsman, Class-III** (Non-Gazetted), in the Department of Industries. Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely.—

1. Short title and commencement.—(I) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Industries, Junior Draughtsman, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(II) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order,
R. D. DHIMAN,
Principal Secretary (Inds.).

——————

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JUNIOR DRAUGHTSMAN (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL PRADESH.

1. **Name of the Post.**—Junior Draughtsman

2. **Number of Post(s).**—05 (Five)

3. **Classification.**—Class-III (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay.—*(i) Pay band for regular incumbent(s).*— ₹ 5910-20200+₹ 2400 Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s) : ₹ 8310/- as per details given in Column. 15 (A).

5. Whether "Selection" post or "nonselection" post.—Not applicable.

6. Age for direct Recruitment.—18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other backword classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—*(a) Essential Qualification(S):* (*i*) Should have passed Matriculation Examinatin or its equivalent from a recognized Board of School Education/University.

(*ii*) At least two years Certificate Course in the trade of Draughtsman from ITI or from Technical Institution of Central/State Government duly recognized by the Central or H.P. Government.

(*b*) *Desirable Qualification(S)* : Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and Educational Qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—*Age*:— Not applicable.

Educational Qualification(s):— Not applicable.

9. Period of probation, if any.—*Direct Recruitment:*— (*a*) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(*b*) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(*i*) 50% by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(*ii*) 50% by direct recruitment on batchwise basis on regular basis or by recruitment on contact basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which promotion/Secondment /transfer is to be made.—Not applicable.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—Not applicable.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—*(i) For direct recruitment through concerned recruitng agency:* Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus, etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(ii) For recruitment on batchwise basis at Department level.— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard / syllabus, etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—

(1) CONCEPT: (a) Under this policy, the Junior Draughtsman in the Department of Industries, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HIMACHAL PRADESH STAFF SELECTION COMMISSION HAMIRPUR.—The Director, Industries Department H.P. after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(**c**) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Junior Draughtsman appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ₹ 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + Grade pay). An amount of ₹ 249/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING / DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Director, Industries, H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—*(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF H.P. STAFF SELECTION COMMISSION HAMIRPUR.*—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard /syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur.

(b) FOR POST(S) FALLING OUT OF THE PURVIEW OF H.P. STAFF SELECTION COMMISSION HAMIRPUR.—Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard /syllabus etc. of which will be determined by the Selection Committee constituted under these Rules.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— *(a) FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF H.P. STAFF SELECTION COMMISSION HAMIRPUR.*—As may be constituted by the concerned recruiting Agency i.e. H.P. Staff Selection Commission, Hamirpur from time to time.

(b) FOR POST(S) FALLING OUTSIDE THE PURVIEW OF H.P. STAFF SELECTION COMMISSION HAMIRPUR.—As may be constituted by the concerned recruiting authority from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure- "B" appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(*a*) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 8310/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 249/- (3% of minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.

(*b*) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(*c*) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He /she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calender year and will not be carried forward for the next calender Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will has to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service Rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employee will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurane Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision (s) of these Rules with respect to any class or category of person (s) or post (s).

ANNEXURE-"B"

Form of Contract/Agreement to be executed between the Junior Draughtsman and the Government of Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh.

This agreement is made on this.................................day of ....in the year................................between Sh/Smt...

S/o/D/o,Shri...R/o...
Conact appointee (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor of Himachal Pradesh through the Director of Industries, Himachal Pradesh (hereinafter after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Junior Draughtsman on contract basis on the following terms and conditions.—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Junior Draughtsman for a period of 1 year commencing on day of.....................................and ending on the day of.................................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ....and information notice shall not be necessary:

   Provided that for further extension/renewal of contract period, the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be R 8310/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Junior Draughtsman will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Laeve. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC. etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appintee:

   Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employee Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY and SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

1 ....
....
(Name and full Address)

2. ---
....
(Name and full Address) (Signature of the (FIRST PARTY)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ....
....
(Name and full Address)

2. ....
.... (Signature of the (SECOND PARTY)
....
(Name and full Address)

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT HIMACHAL PRADESH

FORM-8

(See rule-11)

NOTICE OF PUBLICATION OF DRAFT DEVELOPMENT PLAN

Shimla, the 1st *April*, 2017

No. HIM/TP/PJT/Reckong-Peo/SA/2014/Vol-I/31-49.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the draft Development Plan for Reckong-Peo Special Area is hereby

published and the Notice is given that a copy of the said draft Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices.—

1. The Director,
Town and Country Planning Department,
Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A,
Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla,
Himachal Pradesh.

2. The Town and Country Planner,
Divisional Town Planning Office, Shimla,
District Shimla, Himachal Pradesh.

3. The Assistant Town Planner,
Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur,
District Shimla, Himachal Pradesh.

4 Member Secretary-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Kalpa,
District Kinnaur, Himachal Pradesh.

The particulars of the said draft Development Plan have been specified in the Schedule below.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft Development Plan, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh or to the Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, District Shimla or to the Member Secretary-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kalpa, District Kinnaur, Himachal Pradesh within thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

1. The Existing Land Use Maps.

2. A narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of the draft Development Plan.

3. The phasing of implementation of the draft Development Plan as suggested by the Director.

4. The provisions for enforcing the draft Development Plan and stating the manner in which permission for development may be obtained.

5. An approximate estimate of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of works involved in the implementation of the draft Development Plan.

Place: Shimla
Date: 1-4-2017

By order,
SANDEEP KUMAR,
Director,
Town and Country Planning Department.

हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अधिसूचना

शिमला–4, 24 अप्रैल, 2017

संख्याःवि0स0–विधायन–आदेश / 1–50 / 83–1.––राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 2017 को जारी निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :––

''मैं, आचार्य देवव्रत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, एतद् द्वारा श्री बृज बिहारी लाल बुटेल, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूं, जिसके समक्ष 13 अप्रैल, 2017 को 36–भोरंज (आ0जा0), विधान सभा चुनाव क्षेत्र के उप–चुनाव में निर्वाचित सदस्य, भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के उपबन्धों के अनुरूप शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे।

आचार्य देवव्रत,
राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश।''

आदेश द्वारा :–

सुन्दर सिंह वर्मा,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

———————

तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

शिमला–02, 20 अप्रैल, 2017

संख्याः ईडीएन (टीई)ए(3)18 / 2015.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा**,** व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में **सहायक आचार्य (भेषजी) वर्ग–I** (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध– **'क'** के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्.––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य (भेषजी) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.**––(1) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 31–05–2016 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, सहायक आचार्य (भेषजी) वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
संजय गुप्ता,
प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)।

———————

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सहायक आचार्य (भेषजी) वर्ग–I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती औररैर प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.**——सहायक आचार्य (भेषजी)

2. **पद (पदों) की संख्या.**——15 (पन्द्रह)

3. **वर्गीकरण.**——वर्ग–1 (राजपत्रित)

4. **वेतनमान.**——(*i*) *नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.*——पे बैण्ड ₹ 15600–39100 / – जमा ₹ 6000 / –ग्रेड पे।

(*ii*) *संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.*——स्तम्भ संख्या 15–क में दिए ब्यौरे के अनुसार ₹ 35000 / – प्रतिमास।

5. **चयन पद अथवा अचयन पद.**——लागू नहीं

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**——18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर / निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिएं आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो पश्चातवर्ती तत्पश्चात ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणी.——सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तिया) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं .——*(क) अनिवार्य अर्हर्तता (एं).*——भेषजी में विशेषज्ञता की समुचित शाखा में या तो स्नातक स्तर पर या स्नातकोतर स्तर पर प्रथम श्रेणी या इसके समतुल्य अर्हता सहित भेषजी में स्नात्तक की उपाधि और स्नातकोतर की उपाधि।

यदि श्रेणी /डिवीजन प्रदान नहीं की गई है, तो कुल अंकों के न्यूनतम साठ प्रतिशत अंकों को प्रथम श्रेणी/डिवीजन के समतुल्य समझा जाएगा। यदि ग्रेड पॉइन्ट प्रणाली को अपनाया गया है तो संकलित ग्रेड पॉइन्ट औसत(सी0जी0पी0ए0) को निम्न प्रकार से समतुल्य अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगाः

ग्रेड पॉइन्ट	समतुल्य प्रतिशतता
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तिया) की दशा में लागू होंगी या नहीं.——*आयु .*——लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता.——लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.——(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवावृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगीं।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.——शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जायेगा.——लागू नहीं।

12 यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान् हो तो उसकी संरचना.——*(क) विभागीय प्रोन्नति समिति.*——लागू नहीं।

(ख) विभागीय स्थायीकरण समिति.——जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.——जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.——किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसकाअ स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियॉं नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी.––

(I) संकल्पना.––(*क*) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में सहायक आचार्य (भेषजी) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र मे आना.––सचिव, (तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(*ग*) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियॉं.––संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक आचार्य (भेषजी) को ₹ 35000/– की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.––सचिव (तकनीकी शिक्षा), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा/होगी।

(IV) चयन प्रक्रिया.––संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/ प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.––जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(VI) करार.––अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें.––(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 35000/– की दर से नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश व पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम् पर लागू है यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे एफ0आर0,एस0आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम, आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथा वर्जित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.––सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा सशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को, किसी वर्ग या व्यक्ति(यों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–ख

सहायक आचार्य (भेषजी) एवं हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य _______(नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमती _____________ पुत्र/पुत्री श्री ____________ निवासी ______________, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "**प्रथम पक्षकार**" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य _______________(नियुक्ति प्राधिकारी का नामद्ध (जिसे इसमें इसके पश्चात् "**द्वितीय पक्षकार**" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ______को किया गया।

"**द्वितीय पक्षकार**" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक आचार्य (भेषजी) के रुप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है.——

1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक आचार्य (भेषजी) के रूप में ________से प्रारम्भ होने और _______को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वित्तीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात् __________दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा की अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण करने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम **₹**........... प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित ;समाप्तद्ध किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त सहायक आचार्य (भेषजी) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त सहायक आचार्य (भेषजी) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

   परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और उसे आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के

नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नही की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी / आरोग्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर, पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

(नाम व पूरा पता)

1. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2. ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN (TE) A (3) 18/2015 dated 20-04-2017 as required under article 348 (3) of the Constitution of India.]

TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the* 20*th* *April*, 2017

No**. EDN (TE)A(3)18/2015.**—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of **Assistant Professor (Pharmacy), Class-I** (Gazetted) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this notification, namely.—

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Assistant Professor (Pharmacy), Class – I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajparta, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1)The Himachal Pradesh Technical Education, Vocational & Industrial Training Department, Assistant Professor, (Pharmacy) Class–I, (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2016 notified *vide* this Department notification of even number dated 31-05-2016 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under these rules so repealed under sub-rule 2 (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (T.E.).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT PROFESSOR (PHARMACY) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF TECHNICAL EDUCATION, VOCATIONAL & INDUSTRIAL TRAINING, HIMACHAL PRADESH.

1. **Name of the Post.**—Assistant Professor (Pharmacy)

2. **Number of post(s).**—15 (fifteen)

3. **Classification.**—Class-I (Gazetted)

4. Scale of Pay.—*(i) Pay Band for regular incumbents.*—₹ 15600-39100+ ₹ 6000 GP

(ii) Emoluments for Contract employees.— ₹ 35,000/- P.M. as per details given in Column No. 15-A

5. Whether "Selection" Post or "Non-selection" post.—Not applicable

6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on ad-hoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on ad-hoc or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such ad-hoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies who are/ were subsequently appointed by such corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

NOTE.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(*a*) *ESSENTIAL QUALIFICATION(s).*—Bachelor's Degree and Master's Degree in Pharmacy in appropriate branch of specialization in Pharmacy with first Class or equivalent either at Bachelor level or Master level.

If a class/division is not awarded, minimum 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division. If a Grade Point System is adopted the Commutative Grade Point Average (CGPA) will be converted into equivalent marks as below:

Grade Point	Equivalent Percentage
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(s).—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promote(s).—*Age.*— Not Applicable.

Educational Qualification.—Not Applicable

9. Period of Probation, if any.—(*a*) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(*b*) No probation in case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/ transfer, grades from which promotion/ secondment/transfer is to be made.—Not Applicable

12. If a Departmental Promotion/Confirmation Committee exists, what is its composition.—(*a) Departmental Promotion Committee*.—Not applicable.

(b) Departmental Confirmation Committee.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment .—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A Candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15-A. Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below.—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Professor (Pharmacy) in the Department of Technical Education, Vocational & Industrial Training, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

Provided that for extension / renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/ extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Professor (Pharmacy) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 35,000/- per month.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so considers necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type) /written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT.—As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT.—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure- "B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ₹ 35,000/- P.M.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days' Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 5 days' special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/ She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the

incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty. Provided that he/she shall submit the certificate for illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/ her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this column.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders/instructions regarding reservation for Schedule Castes/Schedule Tribes Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Govt. from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Power to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-"B"

Form of contract/ agreement to be executed between the .... & the Government of Himachal Pradesh through ………………..

This agreement is made on this……………….. day of………….. in the year………… Between Sh./ Smt………….. S/o/ D/o Shri…………… R/o……………………….., contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND

The Governor, Himachal Pradesh through___________, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY). Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as ………………on contract basis on the following terms and conditions.—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as ………………………. for a period of one year commencing on day of ……….. and ending on the day of………….. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ……………………and information notice shall not be necessary:

   Provided that for–further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be r……………../- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual ……………………………….. will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days Maternity Leave and 10 day's Medical Leave and 5 days special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He / She shall not be entitled for Medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual appointee…………..:

   Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. That Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contact appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative ground.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer /practitioner.

8. That contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.

9. That Employees Group Insurance Scheme, EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
(Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
(Name and full address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. ……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
(Name and full address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. ……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..
(Name and full address)

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, *the* 12th *April,* 2017

No. EDN(TE)B(1)4/2017.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order creation and filling up of one post of Principal (Polytechnic) in the Department of Technical Education,

Vocational & Industrial Training, Himachal Pradesh for further appointment/posting in the Himachal Pradesh Technical Education Board, Dharamshala on secondment basis, on the terms and conditions applicable from time to time.

By order,
Sd/-
Principal Secretary (TE).

वन विभाग

आदेश

शिमला–2, 20 अप्रैल, 2017

संख्याः एफ.एफ.ई.–बी–ए.(3)–1 / 2017.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू–परिरक्षण अधिनियम, 1978 की धारा 7 के साथ पठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश संख्याः एफ. एफ.ई.–बी–ए.(3)–4 / 99 तारीख 10–09–2002 द्वारा जारी और राजपत्र (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 04 अक्तूबर, 2002 को प्रकाशित आदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त आदेश' कहा गया है) द्वारा पूर्वोक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राइवेट भूमि से वृक्षों के कटान (गिरान) को अस्थायी रूप से विनियमित, निर्बन्धित और प्रतिषिद्ध किया गया है;

और राज्य सरकार का, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन सम्यक् रूप से जांच करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश का और संशोधन किया जाना आवश्यक और समीचीन है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः–

संशोधन

पैरा 1 का संशोधन.––उक्त आदेश के पैरा 1 में,.––

(क) प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्.––

''परन्तु यह कि वृक्षों की निम्नलिखित प्रजातियों को काटने (गिराने) पर कोई प्रतिषेध या प्रतिबन्ध नहीं होगा.––

क्रम संख्या	प्रजातियों का स्थानीय नाम	प्रजातियों का वानस्पतिक नाम
1.	काला सिरिस / ओई / सिरिस	अलबिजीया प्रजाति
2.	कचनार / करयाल	बौहीनिया प्रजाति
3.	सफेदा	यूकैलिप्टस प्रजाति
4.	किमू / चिमू / शहतूत / तूत / मलबैरी	मोरस प्रजाति
5.	पॉपलर	पॉपलस डेलटियॉडिस
6.	भारतीय विलो / बीयूंस	सालिक्स प्रजाति
7.	बैम्बू क्लमस / लाठी बांस / मग्गर / धरेंच / बांस	डेन्ड्रोकेलेमस स्ट्रीक्टस / डेन्ड्रोकेलेमस हेमिलटोनी / बैम्बुसा न्युटेन्स / बैम्बुसा बैम्बु
8.	जापानी शहतूत / पेपर मलबैरी	ब्रोसोनिशिया पेपिरीफेरा
9.	पेइक / कोई / कोश / कुनिश / नयून	एलनस निटिडा

10.	खिड़क / खड़की	1:–सेलटिस औरस्ट्रेलिस 2:–सैलटिस टेटरेन्ड्रा
11.	दरेक / बकिन	मेलिया एजादारच
12.	फगूड़ा / फेगुड़ा / त्यामल / तिमला / तिरमल / अंजीरी / कलस्टर फिग / गुलर	फाइकस प्रजाति
13.	तून	तूना सिलियेटा
14.	जामुन	सिजिजीयम क्यूमिनी
15.	टीक / सगुन / सागवान	टेक्टोना ग्रान्डिस
16.	अर्जुन	टरमिनेलिया अर्जुना
17.	सेमल / शलमाटास	बोम्बैक्स सिबा
18.	बिहूल / बेयूल / भिमल / भियूनल / धमन	ग्रेबिया प्रजाति
19.	पाजा / पदम	प्रुनस सिरासस
20.	कामला / रैनी / रोहण / रोहिन / सिन्दूरी	मेलोटस फिलीपैन्सिस
21.	आम (वन्य प्रजाति)	मैंगीफेरा इंड़िका
22.	रिष्टक / रीठा / डोडे	सेपिंडस मुकोरोसाई
23.	बान (अधिकतम पांच वृक्षों तक)'	क्यूरकस लियोक्ट्रीकोफोरा

'ये वृक्ष प्रत्येक वर्ष में अधिक से अधिक पाँच वृक्षों के अध्यधीन अनन्यतः घरेलू और अपने उपयोग के लिए होंगे, न कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए।"।

(ख) चतुर्थ परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यह और कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी घरेलू या कृषि उपयोग के लिए या विक्रय के लिए या लोक प्रयोजनों के लिए, जो पैरा 7 (iii) में वर्णित हैं, वृक्ष का कटान करता है तो उसे अपनी / प्राइवेट भूमि में काटे (गिराए) गए एक वृक्ष के बदले में तीन वृक्ष लगाने होंगे और ऐसा व्यक्ति, इस निमित्त, ऐसे लगाए गए वृक्षों के सबूत के रूप में स्वतः प्रमाणित प्रमाण पत्र सम्बद्ध प्राधिकारी (अथॉरिटी) को प्रस्तुत करेगा।"।

2. **पैरा 7 का संशोधन.**––उक्त आदेश के पैरा 7 में खण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित नए परन्तुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्.––

"परन्तु काटे (गिराए) जाने वाले वृक्षों की संख्या की सीमा वही होगी और ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने वाले प्राधिकारी वे ही होंगे, जो इस आदेश के पैरा (1) में यथा उपबन्धित हैं और यदि राष्ट्रीयकृत प्रजातियां काटी (गिराई) जानी हैं तो उनकी गणना हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड क` माध्यम से करवाई जाएगी:

परन्तु यह और कि कटान (गिरान) के प्रयोजन के लिए कॉनिफरज (सिवाय चील के) प्रवर्ग के अन्तर्गत आने वाले वृक्षों को उच्च जोखिम वाले वृक्षों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और काटने (गिराने) की अनुज्ञा प्रदान करने से पूर्व उनका निरीक्षण किसी अधिकारी, जा सहायक वन अरण्यपाल या वन मण्डल अधिकारी की पंक्ति के नीचे का न हो, द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार, चील और चौड़ी पत्ती वाली अन्य प्रजातियां (बान / ओक, साल के सिवाय) को कम जोखिम वाले वृक्षों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और उनका निरीक्षण ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो वन परिक्षेत्र अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो:

परन्तु यह और भी कि काटे (गिराए) जाने वाले वृक्षों का निरीक्षण ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और रिपोर्ट अड़तालीस घण्टे के भीतर विभाग की वैबसाईट पर अपलोड की जाएगी तथा अनुज्ञा आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर प्रदान कर दी जाएगी।"।

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[Authoritative English text of this Department Order No. FFE-B-A(3)-1/2017, dated April, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

FORESTS DEPARTMENT

ORDER

Shimla-171002, *the* 20*th* *April,* 2017

No. FFE-B-A(3)-1/2017.—WHEREAS, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 4 read with section 7 of the Himachal Pradesh Land Preservation Act, 1978, by order, issued vide Order No. FFE-B-A(3)-4/99 dated 10th September, 2002 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) on 4th October, 2002 (hereinafter referred to as the said Order), temporarily regulating, restricting and prohibiting felling of trees from the private lands under the provision of the Act ibid;

AND WHEREAS, the State Government is satisfied that after due enquiry under section 7 of the Act ibid, it is necessary and expedient further to amend the said Order;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Act ibid, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in the said Order, namely.—

AMENDMENT

1. **Amendment of para-I.**—In para 1 of the said Order,

(a) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely.—

"Provided that there shall be no prohibition or restriction on felling of following species of trees:.—

Sr. No.	Local Name of Species	Botanical Name of Species
1.	Kala Siris /Ohi/ Siris	*Albizia species*
2.	Kachnar/ Karial	*Bauhinia species*
3.	Safeda	*Eucalyptus species*
4.	Kimu/Chimu/Shahtoot/Tut/ Mulbery	*Morus species*
5.	Poplar	*Populus deltoidis*
6.	Indian Willow/ Biuns	*Salix species*
7.	Bamboo culms/ Lathi bans/ Maggar/ Dharainch/ Bans	*Dendrocalamus strictus / Dendrocalamus hamiltonii / Bambusa nutans / Bambusa bambos*
8.	Japanese Shahtoot/ Paper mulberry	*Broussounetia Papyrifera*
9.	Paik/Koi/Kosh/Kunis/Kunish/ Nyun	*Alnus nitida*
10.	Khirk/Khadki	*1:-Celtis australis 2:-Celtis tetrendra*
11.	Darak/Bakin	*Melia azedarach*
12.	Fagoora/phagoora/Tiamble/ timla/tirmal/anjiri/cluster fig/goolar	*Ficus species*
13.	Toon	*Toona ciliata*
14.	Jamun	*Syzygium cumini*
15.	Teak/Sagun/Sagwan	*Tectona grandis*
16.	Arjun	*Terminalia arjuna*

17.	Semal/Shalmaltas	*Bombax ceiba*
18.	Bihul/Beul/Bhimal/Bhi-unal/Dhaman	*Grewia species*
19.	Paza/Padam	*Prunus cerasus*
20.	Kamala /Raini/Rohan/Rohini/Sinduri	*Mallotus philippensis*
21.	Aam (Wild Variety)	*Mangifera indica*
22.	Rishtak/Ritha/Dode	*Sapindus mukorossi*
23.	Ban (Maximum up to five trees)*	*Quercus leucotrichophora*

* These trees shall be exclusively for domestic and self use and not for commercial use subject to maximum of five in each year."

(b) after fourth proviso, the following new proviso shall be inserted, namely.—

"Provided further that any person felling the tree either for any domestic or agricultural use or for sale, or for public purposes as mentioned under para 7 (iii) shall plant at least three trees in lieu of one tree felled in their own/private land and such person shall submit in this behalf a self attested certificate as a proof of replanting of trees to the concerned authority."

2. Amendment of para 7 .—In para 7 of the said Order, after clause (iii), the following new provisos shall be inserted, namely.—

"Provided that the limit of number of trees to be felled and authorities to grant such permissions shall be same as provided in para 1 of this Order and in case the nationalized species are to be felled, these shall be worked through Himachal Pradesh State Forest Development Corporation Limited:

Provided further that for the purposes of felling, the trees coming under the category of Conifers (except Chil) shall be categorized as High Risk, and shall be inspected before according felling permission by an Officer not below the rank of Assistant Conservator of Forest or Divisional Forest Officer. Similarly, Chil and all other species of Broad leaves (except Ban/ Oak, Sal) shall be categorized as low risk and shall be inspected by an officer not below the rank of Range Officer:

Provided further that the inspection of the trees to be felled shall be carried out within seven days of the receipt of complete application online by the competent authority and report shall be uploaded within 48 hours and permission shall be granted within 15 days from the date of receipt of application.".

By order,
TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 1001

NOTIFICATION

Shimla, the 18th *April,* 2017

No.HHC/GAZ/14-160/84-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 20-03-2017 to 21-03-2017 in favour of Shri C.L. Kochhar, District and Sessions Judge, Mandi, H.P.

Certified that Shri C.L. Kochhar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri C.L. Kochhar would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Mandi, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18*th April,* 2017

No.HHC/GAZ/14-334/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 17 days commuted leave *w.e.f.* 09-11-2016 to 25-11-2016 and 8 days earned leave w.e.f. 26-11-2016 to 03-12-2016 in favour of Ms. Shikha Lakhanpal, Civil Judge-*cum*-JMIC (II), Mandi, H.P.

Certified that Ms. Shikha Lakhanpal has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shikha Lakhanpal would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMIC (IV), Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18*th April,* 2017

No.HHC/GAZ/14-307/2009.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant of ex-post facto sanction of 19 days commuted leave *w.e.f.* 28-09-2015 to 16-10-2015 in favour of Ms. Kanika Chawla, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nurpur, District Kangra, H.P.

Certified that Ms. Kanika Chawla has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Kanika Chawla would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nurpur, District Kangra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18*th April,* 2017

No.HHC/GAZ/14-372/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant of ex-post facto sanction of 05 days commuted leave *w.e.f.* 14-03-2017 to 18-03-2017 with permission to prefix second Saturday, Sunday and Gazetted holiday fell on 11th, 12th and 13th March, 2017 and suffix Sunday on 19-03-2017 in favour of Ms. Rosy Dahiya, Civil Judge-*cum*-JM (IV), Mandi, H.P.

Certified that Ms. Rosy Dahiya has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Rosy Dahiya would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JM (IV), Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18*th April,* 2017

No.HHC/ Admn.3(282)/90-II.—06 days earned leave *w.e.f.* 24-4-2017 to 29-4-2017 with permission to affix Sundays falling on 23rd & 30th April, 2017 is hereby sanctioned in favour of Shri Hem Raj, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Hem Raj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Hem Raj would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 18*th April,* 2017

No.HHC/ Admn.3(390)/94-I.—19 days earned leave *w.e.f.* 24-4-2017 to 12-5-2017 with permission to prefix Sunday falling on 23-4-2017 and suffix second Saturday and Sunday falling on

13th & 14th May, 2017 is hereby sanctioned in favour of Shri Rajesh Kumar Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 13*th April,* 2017

No.HHC/GAZ/14-274/2004.—Consequent upon the enactment of the H.P.Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 and the framing of H.P.Judicial Officers (Pay Fixation) Rules, 2010, the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of Rs. 33090-920-40450-1080-45850 has been granted to the following members of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges with effect from the dates shown against their names:

Sr. No.	Name of the officer	Date of grant of 1st ACP Scale of Rs. 33090-920-40450-1080 45850
1.	Ms. Monika Sombal, Civil Judgecum- JMIC, Bilaspur, H.P.	28-2-2017
2.	Shri Ashok Kumar-1, Civil Judge-*cum*-JMIC, Chachiot at Gohar, H.P.	27-3-2017
3.	Ms. Geetika Kapila, Civil Judgecum- JMIC, Kandaghat, H.P.	27-2-2017

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH

REGISTRAR GENERAL

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19*th April,* 2017

No.HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In the interest of Administration, Ms. Pushp Lata on her appointment as Civil Judge vide H.P. Government Notification No. Home-B(B) 2-2/2013 dated 18-04-2017, is detailed to undergo induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla with

immediate effect till further orders and posted for the purpose of withdrawal of her salary etc. as under.—

1. Ms. Pushp Lata, Civil Judge against training reserve and leave reserve post in High Court of Himachal Pradesh, Shimla.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH

REGISTRAR GENERAL

CHANGE OF NAME

I, Mamta wife of Shri Vijay Kumar, r/o 12/2, A.G. Colony, Tuti Kandi, Shimla (H.P.) have changed my name to Poonam.

POONAM,
wife of Shri Vijay Kumar,
r/o 12/2, A.G. Colony,
Tuti Kandi, Shimla (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है